ऑन लाईन नं. GCMS 2024/62

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 29/2024

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री अमानाराम पुत्र श्री भूराराम —विक्रेता व मालिक—
   मै. चौधरी मावा भंडार, शॉप नं. 6, गुरूनानक स्कूल के पास, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांकः 31.01.2025**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन नमूना संग्रहण के दिवस कंमांक संख्या एफ 5(1) चिस्वा./ ग्रुप–3/2022 दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1 (ख) पर प्रकाशित हुआ है व वर्तमान में क्रमांक– प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप 3/2023/10018 दिनांक 15.12.2023 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का नमूना दिवस को पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुकत (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश कंमांक आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22. 12.2022 के अनुसार जिला श्री गंगानगर व वर्तमान में पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2023/10077 दिनांक 26.12. 2023 किया गया है एवं संसोधित आदेश क्रमाक आयुक्ता० / खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.11.2023 को समय 11:55 एएम बजे **श्री अमाना राम पुत्र श्री भुरा राम (विक्रेता व मालिक) मैसर्स चौधरी मावा भण्डार, शॉप नम्बर 06, गुरूनानक स्कुल एवं पंजाब एवं सिंध बैंक के पास, श्रीगंगानगर** पर पहुँचा मोके पर विक्रेता **श्री अमाना राम पुत्र श्री भुरा राम (विक्रेता व मालिक)** को अपना परिचय दे कर संस्थान पर रखे खोया के बारे मे जानकारी चाही इस पर स्वंय को मालिक बताया व संस्थान में दस पीपों में रखे लगभग 180 किलों **खोया** को आमजन में बेचान वास्ते बताया जिनमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से **खोया** नमूना जाँच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर देते हुऐ वयक्त की मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन के व मेने हस्ताक्षर किये। फार्म न 5ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया और आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **खोया** में से किलों एक पीपे में से विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त कयशुदा **खोया** का नगद भुगतान 300 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विकेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री अमाना राम पुत्र श्री भुरा राम (विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री अमाना राम पुत्र श्री भुरा राम**

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

(विक्रेता व मालिक) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **खोया** 1 किलों को बराबर भागों में बांटकर 4 बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 20 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद कर चार बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाए और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2111** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2111** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री अमाना राम पुत्र श्री भुरा राम (विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1908/Act/2023/1908 Dated 22-11-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2111 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री अमाना राम पुत्र श्री भुरा राम (विक्रेता व मालिक) मैसर्स चौधरी मावा भण्डार, शॉप नम्बर 06, गुरुनानक स्कुल एवं पंजाब एवं सिंध बैंक के पास, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **खोया** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.04.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी दुकान जमीदारा मिल्क सैन्टर का मालिक हैं। प्रार्थी की दुकान पर दिनांक 22.04.2024 को समय 10:10 ए एम पर निरीक्षण किया गया कि वह आम जनता को खोया बेच रहा था तथा संस्थान में 10 पीपों में लगभग 180 किलोग्राम खोया बेचान हेतु रहा था इस संबंध में निवेदन है कि खोया बनाने के लिये हम दूध बाजार से लिया था तथा बाजार से दूध खरीदकर ही मावा बनाया था जिसमें फेट की मात्रा कम हो जाने के कारण सब स्टैण्डर्ड फुड पाया गया है। इस प्रकार से प्रार्थी द्वारा किसी भी तरह से धारा 26 की उपधारा (प्प) का उल्लंघन नही किया है। प्रार्थी किसी भी तरह की कोई

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

मिलावट नही गई है प्रार्थी भिन्न भिन्न दोधियों से दुध खरीदकर मावा बनाता है तथा जिस भी दोधी से दुध लेता है उसका दुध जांचने के लिए प्रार्थी ने अपनी दुकान पर मशीन लगा रखी है प्रार्थी मशीन से जांच करने बाद ही मावा बनाया था प्रार्थी ने किसी प्रकार की मिलावट नहीं की है। अतः जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन है कि आप द्वारा की गई कार्यवाही दफतर दाखिल फरमायी जावे प्रार्थी को राहत दिलायी जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **खोया** का सैम्पल **K-2111** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–L.S./1908/Act/2023/1908 Dated 22-11-2023 द्वारा **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी भिन्न भिन्न दोधियों से दुध खरीदकर मावा बनाता है तथा जिस भी दोधी से दुध लेता है उसका दुध जांचने के लिए प्रार्थी ने अपनी दुकान पर मशीन लगा रखी है प्रार्थी मशीन से जांच करने बाद ही मावा बनाया था प्रार्थी ने किसी प्रकार की मिलावट नहीं की है। अतः जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन है कि आप द्वारा की गई कार्यवाही दफतर दाखिल फरमायी जावे प्रार्थी को राहत दिलायी जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया **Sample of Khoya bearing code No. K-2111 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not Conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and, Food Addiative) Regulations, 2011** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री अमाना राम पुत्र श्री भुरा राम (विक्रेता व मालिक) मैसर्स चौधरी मावा भण्डार, शॉप नम्बर 06, गुरूनानक स्कुल एवं पंजाब एवं सिंध बैंक के पास, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री अमाना राम पुत्र श्री भुरा राम (विक्रेता व मालिक) मैसर्स चौधरी मावा भण्डार, शॉप नम्बर 06, गुरूनानक स्कुल एवं पंजाब एवं सिंध बैंक के पास, श्रीगंगानगर** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये **15,000–00 (अखरे रूपये पंद्रह हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.)
श्रीगंगानगर